न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 01/20 निर्णय दिनांकः 7/6/22
(जीसीएमएस संख्या 2020/00007)

1. नथाराम पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी नोखामण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गोविन्दराम पुत्र आदुराम जाति नाई निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 31–08–2021

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 31–10–2029 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि वाके रोही दासनू के खेत खसरा न म्बर 545 तादादी 0.08 हेक्टर व खसरा न म्बर 566 तादादी 11.50 हेक्टर भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि वाके रोही सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में स्थित है। जोकि अपीलांट की खातेदारी भूमि के उत्तर में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत वाके रोही दासनू के खेत खसरा नम्बर 564 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 तादादी 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 990/565 तादादी 6.38 हेक्टर, खसरा नम्बर993/567 तादादी 0.13 हेक्टर कुल तादादी 6.75 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 990/565 में आवागमन हेतु एक रास्ता खेत खसरा नम्बर 993/567 में से पूर्व से ही मौजूद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में आवागमन हेतु एक गवाई रास्ता ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 572 की उत्तरी सीमा से होता हुआ खेत खसरा नम्बर 573 में चल रहा है तथा दूसरा गंवाई रास्ता ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में से आता है तो खसरा नम्बर 578 के खातेदारों द्वारा उपयोग व उपभोग में लिया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 577 में आवागमन हेतु गंवाई रास्ता मौजूद होते हुए भी अपने दासनू के खेत को ग्राम सोमलसर के खेत से जोड़ने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट् के खेत में से रास्ते का आवेदन किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 566 के मध्य से रास्ता प्रदान किया गया है।

उन्होनें अपनी बहस में आगे कथन किया कि चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था, इस आश्य की पुष्टि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04–09–2019 के पैरा संख्या 4 के अनुसार होती है जिसमें अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट पूर्व में आवागमन करते थे, लेकिन जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है व रिपोर्ट दिनांक 04–10–2019 में भी इसी आश्य का अंकन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होकर प्रकरण धारा 251 से संबंधित है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत को प्राप्त नहीं होकर संबंधित तहसीलदार को है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे बहस करते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में आवागमन हेतु रास्ता सोमलसर नोखा से रायसर जाने वाली रोड़ से उपलब्ध है तथा ग्राम दासनूँ के खसरा नम्बर 564, 570, 990/565, 993/501 में आने के लिए भी एक रास्ता खसरा नम्बर 990/565 के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 562 में से चलने वाले रास्ते से चल रहा है, व पश्चिम में खसरा नम्बर 569 से होते हुए भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश जैर अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 जिसमें किसी काश्तकार को आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित है, की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि धारा 251ए आरटीए के तहत रास्ते की मांग किये जाने पर नियम 69 के तहत संबंधित तहसीलदार स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरिक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मौका देखा जाना व उसी अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान निहित होने पर प्रकरण में सर्वप्रथम पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इा आश्य पर अपीलांट् द्वारा आपत्ति किये जाने पर पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई, उक्त रिपोर्ट भू–अभिखेक निरीक्षक साधूना द्वारा प्रेषित की गई है। प्रकरण में किसी अन्य पटवार हल्के से रिपोर्ट तैयार करवाये जाने बाबत् पत्रावली में किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया ना ही अपीलांट् को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण में सर्वप्रथम तो अपीलांट् की भूमि में से रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता। फिर भी अदालत मातहत द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है वह अपीलांट् की भूमि के मध्य से स्वीकृत किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि दो भागों में विभक्त हो गई है जो कानून व रास्ते के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट् के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से आश्वयक पक्षकार अर्थात एसबीआई बैंक शाखा नोखा जिसके अधीन अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट की भूमि रहन है को पक्षकार स्थापित किये बिना प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

योग्य है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा श्री सीताराम पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई पेशा वकालत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त शपथ पत्र में पैरा संख्या 1 ता 4 में तथ्यों को वर्णित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि शपथग्रहिता द्वारा स्वयं मौका देखा गया जिससे यह स्थिति स्पष्ट है कि गोविन्दराम को अपने दासनूँ केखेत में आवागमन के लिये रास्ता मौजूद है लेकिन गोविन्दराम ने अपने खेतों को आपस में जोड़ने के लिये अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए नये रास्ते का आवेदन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 पार्ट II पेज 967, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 40, आरएलडब्ल्यू 2017 पार्ट I पेज 541, आरबीजे 2020 पेज 36, आरबीजे 2016 पेज 331, आरएलडब्ल्यू 2017 पार्ट II पेज 794, आरआरटी 2018–19 स्प. पेज 343, आरआरडी 1988 पेज 254 व डब्ल्यूएलएन 1984 पेज 520 'डी' के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 तादादी 5.06 हेक्टर भूमि तथा ग्राम दासनूँ के खेत खसरा नम्बर 564 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर570 तादादी 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 990/565 तादादी 6.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 993/501 तादादी 0.13 हेक्टर कुल रकबा 6.75 हेक्टर भूमि स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर अप्रार्थी के खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 11.50 हेक्टर भूमि की पश्चित सीमा से पूर्वी सीमा के मध्य से आवागमन करता आ रहा है तथा उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 566 जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चिपते स्थित है, में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 69 आरटीए के प्रावधानों के तहत सर्वप्रथम दिनांक 29–08–2019 को मौके की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, नोखा को लिखे जाने पर दिनांक 04–09–2019 को संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रेषित की गई, उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि मौके पर पहुँच कर मैट्रिक शीट व राजस्व रिकार्ड से मिलान करते हुए अप्रार्थी नथाराम पुत्र उमाराम के खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 11.50 हेक्टर भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित पाया गया तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अपीलांट् द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तथा मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थित में तैयार किये जाने का कथन किया गया। उक्त आपत्ति पर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा दिनांक 26–09–2019 को तहसीलदार, नोखा को पत्र कमांक एसडीओ/नोखा/कोर्ट/19/66 के माध्यम से निर्देशित कियागया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम, 69 के तहत आप स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षण पक्षकारान् की मौजुदगी में मौका देख कर जॉच करें या करवा कर मौका रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करावें। उक्त पत्र के अनुसरण में भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा पुनः पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उक्त रिपोर्ट में भी अभिलिखित किया गया कि वर्तमान में चालूरास्ते को खसरा नम्बर 566 के खातेदार नथाराम नाई ने खेजड़ी के झाड़ लगाकर रोक रखा है तथा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनो पक्षकारान् को बुलाया गया परन्तु एक मौके पर आया तथा दूसरा पक्ष बाद में काफी आवाज देने पर आया। अप्रार्थी नथाराम ने हस्ताक्षर करने से मना किया तथा अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति पर अदालत मातहत द्वारा पुनः रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् दो बार रिपोर्ट प्राप्त की गई व उक्त दोनों रिपोर्टो में यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते का आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति की प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है, स्वीकार योग्य नहीं है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की उक्त आपत्ति को खारिज करते हुए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने दशा में नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 11.50 हेक्टर में से 146X6 = 876 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251 ए के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों व मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस अपीलांट् की यह आपत्ति की रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 व ग्राम दासनूँ के खेत खसरा नम्बर 990/565 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने की दशा में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का व वादग्रस्त भूमि पर रास्ते के संबंध में प्रस्तुत तहसीलदार, नोखा की रिपोर्ट दिनांक 04–09–2019 व 26–09–2019 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्टस में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में आने–जाने के लिये अन्य कोई कटाणी मार्ग नहीं है तथा अपीलांट्/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 566 में से आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित बताया गया है। इसी कम में उल्लेखनीय यह भी है अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी आराजी जैर के बाबत् रिपोर्ट नये सिरे से मंगवाये जाने का कथन किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा पत्र कमांक राएए/बीका/20/11 दिनांक 03–01–2020 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके की स्थिति मंगवाये जाने पर तहसीलदार, नोखा द्वारा स्वयं मय पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक मौके की पर जाकर पुनः जॉच की गई, व जॉच उपरान्त पत्र कमांक राजस्व/20/283 दिनांक 13–02–2020 के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वे स्वयं मौके पर पहुँचें तथा मौके पर उभय पक्षों की मौजूदगी में मौका मुआयना किया गया। उक्त रिपोर्ट में भी अभिलिखित किया गया कि खसरा नम्बर 990/565 में से अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 577 सरहद ग्राम सोमलसर में आवागमन हेतु कोई कटाणी मार्ग उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट गोविन्दराम को अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 577 सरहद ग्राम सोमलसर में आने जाने हेतु सर्वाधिक निकटतम मार्ग अपीलांट् के खेत खसरा नम्बर 566 में से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपयुक्त है। उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया कि अपीलांट् पक्षकारान् ने फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा तीन बार मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई, व उक्त तीनों रिपोर्टस जोकि भिन्न–भिन्न राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है, में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता दिये जाने बाबत् अपनी अनुशंसा की गई है। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके ग्राम सोमलसर के खेत खसरा नम्बर 577 में ग्राम दासनूं के खेत खसरा नम्बर 990/565 में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की दशा में अपीलांट्/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 566 में से 146X6 = 876 मीटर गैरमुमकिन रास्ता धारा 251ए आरटीए में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है। प्रकरण में दौराने बहस अभिभाषक श्री सीताराम बिश्नोई द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वयं मौका देखे जाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु अन्य रास्ता मौजूद होने का कथन किया गया है। प्रकरण में अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का सम्मान किया जाता है, परन्तु राजस्व अमला जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, के द्वारा न्यायालय के समक्ष तीन बार मौके की रिपोर्ट भिन्न–भिन्न कर्मचारियो/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की अनुशंसा की गई, की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दो बार प्राप्त करने के उपरान्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील के माध्यम से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में उल्लेखित प्रावधानों के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 31—10—2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 7/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/6/22

(समरवीर सिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर